संख्याः 3477 / VII-II-10 / 328–उद्योग / 2007

प्रेषक,

एम0 सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सिडकुल जॉच आयोग का गठन मद में आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः542/ XXVII(1)/2010 दिनांकः 04 अक्टूबर, 2010 तथा शासनादेश संख्या–1154 / VII-II-10 / 328– उद्योग / 2007 दिनांक 14.05.2010 एवं शासनादेश संख्या–2251 / VII-II-10 / 328–उद्योग / 2007 दिनांक 03.08.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिडकुल जॉच आयोग का गठन मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा प्राविधानित धनराशि कुल **₹ 5.00 लाख (₹ पॉच लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 187/XXVII(1)/2009 दिनांकः 30 मार्च, 2010 में इंगित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च 2011 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 00–आयोजनेत्तर–00– 26–सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठन, 42–अन्य व्यय की मद के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 603/XXVII(2)/2010 दिनांकः 16 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3477/VII-II-10/328–उद्योग/2007 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिडकुल जॉच आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. उप निदेशक/नोडल अधिकारी(बजट) उद्योग निदेशालय देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

22/11/04